राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(94)परि/नियम/मु./2019/25278 जयपुर, दिनांकः 1/10/2019

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
समस्त।

विषयः—हल्का भार आधान (Light weight container) लेकर संचालित होने वाले मोटरसाईकिलो के संबंध में।

संदर्भः—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1248(अ) दिनांक 05.11.2004, सा.का.नि. 473(अ) दिनांक 02.05.2016 एवं का.आ. 558(अ) दिनांक 09.02.2018.।

1. अधिसूचना का.आ. 1248(अ) दिनांक 05.11.2004 के अनुसार निम्नांकित मोटरसाईकिल को परिवहन यान के रूप में वर्णित है:—

   (i) सामान के वहन के लिए पार्श्व कार सहित मोटर साईकिल,

   (ii) सामान के वहन के लिए ट्रेलर सहित मोटर साईकिल,

   (iii) पीछे एक यात्री को भाड़े पर ले जाने के लिए प्रयुक्त मोटरसाईकिल और भाड़े पर सामान या यात्री ले जाने के लिए मोटर युक्त साईकिल रिक्शा।

2. ई—कॉमर्स कम्पनियों को हल्का सामान ढोने के लिए एक निश्चित आकार का लगेज बॉक्स लगाकर उनको गन्तव्य समान तक पहुंचने के कार्य में प्रयुक्त होने वाली मोटरसाईकिलों के लिए अधिसूचना सा.का.नि. 473(अ) दिनांक 02.05.2016 द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 123 के प्रथम परन्तुक के पश्चात् यह वर्णित किया गया है:—

   परन्तु यह कि 1 अक्टूबर 2016 को या उसके पश्चात कोई हल्का भार आधान (Light weight container) किसी मोटरसाईकिल पर फिट किया जा सकता है परन्तु उसे निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होगी:—

   (i) आधान का आकार 550 मि.मी लम्बाई, 510 मि.मी. चौडाई और 500 मि.मी. ऊंचाई से अधिक नही होगा,

Scanned by CamScanner

(ii) आधान का भार जिसके अन्तर्गत उसकी मढाई और आधान में वहन किए जाने वाला भार भी है, 30 कि.ग्रा से अधिक नही होगा,

(iii)यदि ऐसे आधान को पिछली सवारी दिक् स्थान पर फिट किया जाता है तो किसी पिछली सवारी को अनुज्ञात नही की जाएगी,

(iv)यदि ऐसे आधान को पिछली सवारी दिक् स्थान के पीछे फिट किया जाता है तो किसी पिछली सवारी को आसीन होने के लिए अनुज्ञात नही किया जाना चाहिए।

3. अधिसूचना का.आ. 1248(अ) दिनांक 05.11.2004 में अधिसूचना का.आ. 558(अ) दिनांक 09.02.2018 द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए अपरिवहन यान की श्रेणी में क्रम संख्या 15 पर यह स्थापित किया है:–

"(xv) लगेज बॉक्स के साथ मोटरसाईकिल (एल1 और एल2 प्रवर्ग मोटर यान)

अतः उपरोक्त के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि एग्रीगेटर के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत स्तर पर जिन मोटरसाईकिलों का प्रयोग किराये पर सवारी परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है, उनका पंजीयन परिवहन यान के रूप में किया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र एवं परमिट जारी किया जाना सुनिश्चित करें किन्तु अधिसूचना दिनांक 09.02.2018 के अनुसरण में आधान (light weight container) लगाकर सामान परिवहन करने वाले मोटरसाईकिलो का पंजीयन एवं उपयोग गैर परिवहन के रूप में नियमानुकूल है।

संलग्नः–

1. अधिसूचना दिनांक 05.11.2004,
2. अधिसूचना दिनांक 02.05.2016,
3. अधिसूचना दिनांक 09.02.2018।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः प.7(94)परि/नियम/मु./2019/25279-25280 जयपुर, दिनांकः 1/10/2019

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त, यातायात पुलिस ,जयपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939
No. 483] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

का.आ. 558(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं. का.आ.1248(अ) तारीख 5 नवंबर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारिणी में, शीर्षक 'गैर परिवहन यान' के अधीन, मद (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(xv) लगेज बाक्स के साथ मोटर साईकिल (एल1 और एल2 प्रवर्ग मोटर यान)

(xvi) स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए विशिष्ट तकनीकी विशेषताओं, ठहराव और उपस्कर को रखते हुए तथा गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य के यान"।

[फा. सं. आरटी--11028/12/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 1248(अ) तारीख 5 नवंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

749 GI/2018

Scanned by CamScanner

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th February, 2018

S.O. 558(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and highways, Department of Road Transport and Highways number S.O. 1248(E) dated the 5th November, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely :-

In the said notification, in the TABLE, under the heading 'non-Transport Vehicle', after item (xiv), the following items shall be inserted, namely:-

"(xv) motor cycle (L1 and L2 category motor vehicles) with luggage box

(xvi) special purpose vehicle, used for non-commercial purpose and having specific technical features, arrangement and equipment for promotion of activities related to health, education or environmental protection".

[F. No.RT-11028/12/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1248(E) dated the 5th November, 2004.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.10 17:15:16 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Scanned by CamScanner

422

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 965] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 5, 2004/कार्तिक 14, 1926
No. 965] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 5, 2004/KARTIKA 14, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2004

का.आ. 1248(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 451(अ) तारीख 19 जून, 1992 को अधिक्रांत करते हुए मोटर यानों के प्रकार को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट करती है ।

सारणी

परिवहन यान	परिवहनेत्तर यान
(i) सामान के वहन के लिए पार्श्व कार सहित मोटर साइकिल	(i) वैयक्तिक उपयोग के लिए पार्श्व कार सहित या उसके बिना मोटर साइकिल
(ii) सामान के वहन के लिए ट्रेलर सहित मोटर साइकिल	(ii) मोपेड और मोटरयुक्त साइकिल (इंजन क्षमता 25सीसी से अधिक न हो)

Scanned by CamScanner

(iii) पीछे एक यात्री को भाड़े पर ले जाने के लिए प्रयुक्त मोटर साइकिल और भाड़े पर सामान या यात्री ले जाने के लिए मोटर युक्त साइकिल रिक्शा	(iii) अशक्त यात्री गाड़ी
(iv) लक्जरी कैब	(iv) वैयक्तिक उपयोग के लिए तिपहिया यान
(v) सवारी/माल के परिवहन के लिए तिपहिया यान	(v) मोटर कार
(vi) सामान वाहक ट्रक या टैंकर या डाकवाहक (एन1-एन3 प्रवर्ग)	(vi) फोर्क लिफ्ट
(vii) लोकसंरक्षक के उपयोगी पावर टिलर और ट्रैक्टर	(vii) उपस्कर जैसे रिंग, जनरेटर, कम्प्रेसर लगे हुए यान या ट्रेलर
(viii) चल क्लिनिक या एक्सरे वैन या पुस्तकालय वैन	(viii) क्रेन युक्त यान
(ix) चल कर्मशाला	(ix) कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर
(x) चल जलपानगृह	(x) निजी सेवा यान जो किसी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रीकृत है और यदि घोषणा की जाती है कि उसका उपयोग केवल व्यक्तिगत उनके द्वारा किया जाता है ।
(xi) निजी सेवा यान	(xi) निजी उपयोग के लिए कैम्पर वैन या ट्रेलर
(xii) सार्वजनिक सेवा यान जैसे [illegible] कैब, मोटर कैब, मंजिली गाड़ी और संविदा [illegible]में पर्यटन यान भी है ।	(xii) अनुकर्षण ट्रक, ब्रेक डाउन वैन और रिकवरी यान
(xiii) शिक्षण संस्था बस	(xiii) केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों स्वामित्वाधीन टावर वैगन और वृक्ष कर्तन यान
(xiv) एम्बुलेंस	(xiv) नियम 2(गक) में यथापरिभाषित संनिर्माण उपस्कर यान *
(xv) पशु एम्बुलेंस	
(xvi) कैम्पर वैन/ ट्रेलर	
(xvii) नकदी वैन	
(xviii) फायर टेंडर, स्नार्क लैडर, सहायक ट्रेलर और अग्निशमन यान	
(xix) संलग्न यान	
(xx) शवयान	
(xxi) ओमनीबस +	

(क) "एम्बुलेंस" से ऐसा यान अभिप्रेत है जो बीमार, क्षतिग्रस्त, जख्मी या अन्यथा असमर्थ व्यक्तियों के आपातकालीन परिवहन विशेषता रूपांकित, निर्मित या उपांतरित और सज्जित किया गया है और उनके उपयोग के लिए आशयित है ।

Scanned by CamScanner

NOTIFICATIONS UNDER THE MOTOR VEHICLES ACT

(Issued by the Central Government)
Under Section 41(4)
Specification of Types of Motor Vehicles

S.O.1248(E),dated 5-11-2004. – In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport No. S.O. 451(E), dated the 19th June, 1992, the Central Government hereby specifies the types of motor vehicles as mentioned in column 1 and 2 of the Table below for the purposes of said sub-section (4): -

Transport Vehicles	Non-Transport Vehicles
(1)	(2)
(i)Motor cycle with side car for carrying goods	(i)Motor cycle with or without side car for personal use.
(ii)Motor cycle with trailer to carry goods	(ii)Mopeds and motorized cycle (Engine capacity exceeding 25cc).
(iii)Motor cycle used for hire to carry one passenger on pillion and motorized cycle-rickshaw for goods or passengers on hire –	(iii)Invalid carriage.
(iv)Luxury cabs.	(iv)Three-wheeled vehicles for personal use.
(v) Three wheeled vehicles for transport of passenger/goods.	(v)Motor car.
(vi)Goods carrier trucks or tankers or mail carriers (N_1-N_3 category).	(vi)Fork lift.
(vii)Power tillers and Tractors using public roads.	(vii)Vehicles or trailers fitted with equipment's like rig, generator, and compressor.
(viii)Mobile clinic or X-ray van or Library vans	(viii)Crane mounted vehicles.
(ix)Mobile workshops.	(ix)Agricultural Tractors and power Tillers.
(x)Mobile canteens.	(x)Private service vehicle, registered in the name of an individual and if declared to be used by him solely for personal.
(xi)Private Service Vehicle.	(xi)Camper van or trailer for private use.
(xii)Public service Vehicle such as maxi cab, motor cab, stage carriage and contract carriages including tourist vehicles.	(xii)Tow trucks, Breakdown Van and Recovery Vehicles.
(xiii)Educational Institution buses.	(xiii)Tower Wagons and tree trimming vehicles owned by Central, State and local authorities.
(xiv)Ambulances.	(xiv)Construction Equipment vehicles as defined in rule 2(ca)*
(xv)Animal ambulances.	(xv) Motor Cycle (L1 L2) category M.V with luggage box w.e.f 9.2.2018
(xvi)Camper vans or trailers.	(xvi)
(xvii)Cash vans.	
(xviii)Fire tenders, snorked ladders, auxiliary trailers and fire fighting vehicles.	

Scanned by CamScanner